कार्यालय छावनी परिषद, नैनीताल।

हर घर झण्डा अभियान (दिनांक 11 अगस्त, 2022 से 17 अगस्त, 2022 तक)

सार्वजनिक सूचना

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना संख्याः– सा0का0नि0571(अ) के माध्यम से विभिन्न Single Use Plastic से निर्मित उत्पादों (75 माईक्रोन से कम) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर दिनांक 30.06.2022 से पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया गया है।

तदक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत उक्त अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल–प्रयोग–प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया जाएगा :–

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री।

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द–गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टीरर किसी भी प्रतिष्ठान, दुकान, व्यक्ति, व्यापारी द्वारा उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर छावनी परिषद द्वारा नियम संगत धाराओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी परिषद नैनीताल
(कोली आकाश संतोष)